IN THE COURT OF MUNSIF, CIVIL COURT, AURANGABAD.

Partition Suit No. 283/2022

Amrendra Singh Vs. Ravindra Singh and 01 others.

Sl. No.	*Date of order of the proceeding*	*Order, with initials of the court*	Remarks, with action taken by the office, if any.
1	2	3	4
	09-01-2023	वादी की हाजिरी है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद ग्रहण के बिन्दु पर निश्चित है। वादी अमरेन्द्र सिंह के द्वारा प्रतिवादीगण रविन्द्र सिंह एवं धनराज देवी के विरूद्ध यह बंटवारा वाद विवादग्रस्त भूमि वादपत्र के सिडयूल–1 की भूमि में अपने एक तिहाई हिस्से के बावत लाया है। वादी के तरफ से दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में इसी न्यायालय में वर्तमान वाद के पक्षकारों के द्वारा बंटवारा वाद संख्या–494/2013 लाया था, जिसमें पक्षकार वादी रविन्द्र सिंह एवं प्रतिवादी धनराज कुँवर एवं अमरेन्द्र सिंह थे, जो संधि–पत्र के आलोक में दिनांक 18.12.2019 को निष्पादित किया गया है और उसमें डिक्री भी तैयार किया गया है। निष्पादित बंटवारा वाद संख्या 494/2013 से संबंधित भूमि में से ही कुछ भूमि इस वर्तमान वाद में भी सम्मिलित हैं। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि समान्य व्यक्तियों के बीच एक ही सम्पत्ति पर जिसमें न्यायालय द्वारा एक बार संधि के आधार पर वाद निर्णीत किया जा चुका हो, पुनः उसी वाद भूमि पर उसी समान वादी के द्वारा उसी समान प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवारा किये जाने के लिए दुबारा वाद लाने का कोई अधिकार निर्णीत वाद के पक्षकारों को नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में वाद के पक्षकारों पर विवंधन के सिद्धान्त (Rule of Estoppel) लागू होता है। अतः वादी अमरेन्द्र सिंह के द्वारा दाखिल बंटवारा वाद बिना वाद ग्रहण किये विवंधन के नियम (Rule of Estoppel) के आधार पर <u>खारिज</u> किया जाता है। कार्यालय आवश्यक प्रविष्ट उपरान्त अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित, न्यायकर्ता, औरंगाबाद।	

CIVIL COURT, AURANGABAD

IN THE COURT OF MUNSIF, CIVIL COURT, AURANGABAD.

Partition Suit No. 283/2022

Amrendra Singh Vs. Ravindra Singh and 01 others.

CIVIL COURT, AURANGABAD